


General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

श्री देवी पुत्री स्व. दयालाराम उर्फ डालूराम श्री स्व. देवीसिंह वगैरह जाति गुर्जर सी वर्तमान वार्ड नम्बर 26, मुकुन्दगढ़ जिला व जिला झुंझुनू(राज.)	-बनाम-	श्रीपाल सिंह, मोती सिंह पुत्रान महाबक्स सिंह वगैरह जाति राजपूत निवासीगण घोडीवारा खुर्द तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू(राज.)
---	--------	--

स मुकदमा - दावा घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 95/2024

5.2024 दावा वादी कि ओर से जारिये वकील श्री विधाधर सिंह जाखड ने पेश किया। प्रस्तुत दरतावेजात का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रस्तुत सम्मन/तलवाना पर प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर आईन्दा दिनांक 28.06.2024 को पेश हो।


(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

28/6/24
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आगन्दा दिनांक 23/8/24 को पेश हो।

23/8/24
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आगन्दा दिनांक 25/10/24 को पेश हो।

25/10/2024
वकील वकी व वकी स्वयं अनुस्मिता वकी छप वाड ले हु सम्बन्धित शांफर आम्पाई निवेद्यरा का "Not Present" में खालि कादा लिया है। का-का जावाज़ लवाने के पश्चात भी इन वाड में न तो वकी स्वयं उपस्थित थे रहीं है और न ही वकी के अधिवक्ता उपस्थित थे लिहना काउ ऊडप एनवे ऊडप वकी खालि किया जाता है फ़ाउली अन्तल भुना है कम्प से कम्प से अपडतकारी ल आसा दाखिल हाए है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनू)